

बिहार सरकार
राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
E-mail ID-sorrcd2012@gmail.com

पत्रांक: मु0 नि0 (पथ)- 14/2007

46 (34-14)

/दिनांक:- 30/11/2017

लक्ष्मी नारायण दास,
संयोजक

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
-सह-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ENCLOSURE में,
निदेशक, जल
S.E. Flood
01/12/17

अभियंता प्रमुख, (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त जियो बैग (1M x 0.7M) के दर अनुमोदन पर
राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा दिनांक-28.11.2017 की बैठक में लिये गये निर्णय
के प्रेषण के संबंध में।

प्रसंग:- अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-487 दिनांक-20.11.2017
महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा जल
संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रस्तावित जियो बैग (1M x 0.7M) के अनुमोदित दर एवं बैठक में लिये गए
निर्णय की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

यदि नई स्वीकृत दरों में कोई त्रुटि या विसंगति परिलक्षित हो तो इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब देने
की कृपा की जाय।

- अनु0 :- (1) कार्यवाही की छाया प्रति-01 (एक पृष्ठ)।
(2) जियो बैग की अनुमोदित दर-02 (दो पृष्ठ)।

विरवासभाजन

प्रमाण सचिव

बत
7421
01/12/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
संयोजक

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति
-सह-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

जी.आर.डी.
01/12/17

अभियंता प्रमुख, राह नियंत्रण एवं जल निरीक्षण
मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना

क्र. 502-~~502~~ 02455-08-01/2017 दिनांक 04/12/17

प्रतिनिधि - सभी मुख्य अगिठ, जल संसाधन विभाग को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु हार्मोन। हार्मोन की अनुपेक्षा है कि अपने प्रमाणपत्रों को प्रचारित करने की कृपा की जाए।

अनुष्ठान - अमानत

(सुजीत कुमार)

निदेशक

कृषि, भंडार एवं वाणिज्य प्रबंधन निदेशा

Approved Rate for ^{U/Non}Woven Geo Textile Bag of Size 1m x 0.7m (Geo Bag)

Geo Bag of Size (1mx0.7m)

Type of polymer : Type of polymer Shall be Polypropylene/ Polyester.

Quality of Polymer : The virgin fibres with more than 70% UV resistance Shall be used as raw material for making Fabric and Geo bags. No recycled fiber Shall be allowed for making Geo Textile bags.

Type of Fiber: Staple Fiber

Bonding Mechanism- Needle-Punching

SL No	Properties	Unit	Requirements of Nonwoven Geo-Textile bags	राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति जीओ बैग)
1	Wide width Tensile Strength, Min. (MD/CD)	kN/m	15 15	Rs. 99.00/- (लिनानवे रुपये मात्र)
2	Elongation, Min. MD/CD	Percent	50	
3	Seam Strength, Percent of Original Fabric Strength, Min	Percent	≥65	
4	Abrasion Resistance, Retained Tensile strength in Machine direction and Cross Machine direction Min.		50%	
5	Trapezoidal tear strength, Min. MD/CD	N	340	
6	CBR Puncture Resistance, Min	N	3000	
7	Water Permeability at 100 mm Water Head, Min.	(l/m ² /s)	60	
8	Apparent Opening Size (AOS), Max	Um	75	
9	Permittivity, Min	S	1.25	
10	Thickness under 2kPa, Min	Mm	3.0	
11	Polymer Type, Polyester (PES) or Polypropylene (PP)		Polyester (PES) Virgin type or Polypropylene (PP)	
12	Mass, Min.	g/m ²	300	

3	Volume of Filled Bag	M3	0.07	
4	Weight of Filled Bag	Kg	126	
5	UV Resistance after 500-h, Min	Percent	80	

Stitching : Ring Spun Yarn Stitches with=2500-3500 denier(PBS/PP); double line chain stitch with overlap stitches along the edges @minimum 15 stitches/100mm.


सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख, भवन
निर्माण विभाग, बिहार, पटना।


सदस्य


राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख, प्राचीन
कार्य विभाग, बिहार, पटना

सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख, लघु
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-मुख्य अभियंता
(असैनिक) बिहार स्टेट पावर
होल्डिंग कंपनी लि0, बिहार, पटना


सदस्य


राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-मुख्य अभियंता, (मिथुन)
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
तकनीकी परीक्षण कोषांग, निगरानी
विभाग, बिहार, पटना

सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख, लोक
स्वास्थ्य अभियंता विभाग, बिहार,
पटना


सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता प्रमुख,
मुख्यालय जल संसाधन विभाग, बिहार,
पटना।


संयोजक

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति-सह-अभियंता
प्रमुख-सह-अपर
अनुसूचित-सह-विशेष-सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

रा/रा/0-प्र0 1-एम0एन0(कार्यविभाग)-02/17-3387/एम0, पटना, दिनांक-27/9/19
प्रेषक,

Email/
Web

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।
सेवा में,

प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/
ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/
ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग/
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विहार, पटना।

अभियंता प्रमुख
भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/
ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, विहार, पटना।

अभियंता प्रमुख,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना।

प्रबंध निदेशक,
विहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना।

प्रबंध निदेशक,
नेशनल विल्डिंग कंसल्टेशन कारपोरेशन लि0,
NBCC भवन, चतुर्थ तल, मौर्या टावर, मौर्य लोक कम्प्लेक्स,
डाक बंगला चौराहा, पटना।

प्रबंध निदेशक,
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन,
लोक नायक जय प्रकाश भवन,
मौर्यलोक, डाक बंगला चौराहा, पटना।

उप मुख्य अभियंता (निर्माण),
पूर्वोत्तर रेलवे हाजीपुर, वैशाली।

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
सड़क, परिवहन एवं राज्य मार्ग विभाग,
17, अनिकेत हाउसिंग कॉर्पोरेटिव सोसाईटी,
आई0ए0एस0 कॉलोनी, किदवईपुरी (एस0के0 नगर), पटना।

मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी,
पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्र घाट, पटना-800004

कार्यपालक अभियंता,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
पुनाइचक, राजवंशी नगर, पटना

महाप्रबंधक,
क्षेत्रीय कार्यालय, NHAI, D-03,
प्रथम तल, राजेश कुमार पथ, श्रीकृष्णापुरी,
बोरिंग रोड, पटना।

गैरिसन इंजिनियर
विहार रेजिमेंट सेन्टर, दानापुर कैंन्ट,
दानापुर, पटना।

प्रबंध निदेशक,
विहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम,
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा कॉम्प्लेक्स, सैदपुर, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम,
निर्माण निग, वी०एम०पी०-५ कैम्पस, शेखपुरा, पटना-14।

महाप्रबंधक,
पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
पंचम एवं षष्ठम तल, अलंकार प्लेस, बोरिंग रोड, पटना।

मुख्य अभियंता,
वी०एस०एन०एल०, (असैनिक), पटना।

विषय:- फार्म 'एम' एवं 'एन' के सत्यापन पद्धति को समाप्त करते हुए मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) लागू करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय अधिसूचना सं०-3174/एम० दिनांक 17.09.2019 एवं विभागीय पत्रांक 670/एम० दिनांक 21.02.2019

महाशय,

विभागीय अधिसूचना सं०-3174/एम० दिनांक 17.09.2019 द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 प्रख्यापित की जा चुकी है।

कार्य विभागों द्वारा सरकारी परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों के वैध स्रोतों से प्राप्ति की प्रमाणिकता के लिए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम 57 के तहत फार्म 'एम' एवं 'एन' सत्यापन पद्धति को समाप्त करते हुए मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) लागू किया गया है। इसके प्रावधान निम्नवत् हैं:-

- (1) सभी सरकारी विभाग, विशेषकर अपनी स्कीम या परियोजनाओं के लिए किसी लघु खनिज का उपयोग करने हेतु मालिकाना फीस की कटौती अपने आपूर्तिकर्ता या संवेदक से करेंगे।
- (2) ऐसी मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत फ्लैट दर पर कार्य विभागों द्वारा अपने आपूर्तिकर्ता/कार्य ठिकेदारों से की जाएगी और जिले के खनन अधिकारी के पास जमा की जाएगी।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि लघु खनिजों के स्वामिस्व कटौती के संबंध में नियम 57 (1) एवं (2) के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनु०:- नियमावली, 2019 के नियम 57 की छायाप्रति।

प्रमुख
27/9/19

विश्वासभाजन

27/9/19
सरकार के अवर सचिव

प्रपत्र-छ में वैध चालान के बिना खनिज के परिवहन की दशा में खनिज के कुल मूल्य और जुमाना, जिसे दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, वाहन के प्रभारी व्यक्ति से वसूला जाएगा और सरकारी शीर्ष में जमा किया जा सकेगा। शारितों के संग्रहण और जमा की रीति एवं औपचारिकताएँ विभाग द्वारा, समय-समय पर विनिश्चित की जाएगी :

परन्तु जब वाहन में लदा हुआ खनिज की मात्रा चालान में उल्लेखित मात्रा से भिन्न हो तो प्राधिकृत अधिकारी उस जुमाने के साथ, जिसे दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा केवल अंतर की मात्रा के लिए खनिज के मूल्य की वसूली कर सकेगा। मूल्यांकन की गई मात्रा का निर्धारण केवल नेत्रानुमान से न कर धर्मकाँटा से किया जायेगा।

अधिशेषित दण्ड की राशि के संग्रहण/जमा करने हेतु विभाग द्वारा मनी रसीद संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक को निर्गत किया जायेगा जो दण्ड की राशि मनी रसीद के माध्यम से प्राप्त कर सरकारी कोष में जमा करेंगे।

- (3) जो कोई भी वैध लीज/परमिट के बिना लघु खनिज हटाता है अथवा जिसकी ओर से इस नियमावली के विरुद्ध ऐसा हटाया जाता है वह ऐजेंट, प्रबंधक ठीकेदार, उपपट्टाधारी लघु खनिज का अविधिमान्य हटाए जाने का पक्षकार होना और उसका मूल्य चुकाने का दायी होगा और सरकार उस व्यक्ति से उस अवधि के लिए जिसके दौरान भूमि इस व्यक्ति के अधिभोग किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना इस नियमावली या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे विरुद्ध की जानेवाली अन्य कार्रवाई के प्रतिकूल के बिना यथा स्थिति, लगान, स्वामित्व अथवा कर की वसूली कर सकेगी।

57. सरकारी परियोजनाओं मालिकाना फीस—

- (1) सभी सरकारी विभाग, विशेषकर अपनी स्कीम या परियोजनाओं के लिए किसी लघु खनिज का उपयोग करने हेतु मालिकाना फीस की कटौती अपने आपूर्तिकर्ता या संवदेक से करेंगे।
- (2) ऐसी मालिकाना फीस की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10(दस) प्रतिशत प्लैट दर पर कार्य विभागों द्वारा अपने आपूर्तिकर्ता/ कार्य ठीकेदारों से की जाएगी और जिले के खनन अधिकारी के पास जमा की जाएगी।

राज्य सरकार, समय-समय पर मालिकाना फीस में बढ़ोतरी या कमी कर सकेगी।

58. लघु खनिजों का विक्रय मूल्य— अंतिम उपभोक्ता या जनता के लिए खनिजों का विक्रय मूल्य बाजार-बल द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय—XV

अपराधों की पहचान, अनुसंधान तथा विचारण।

59. प्रवेश निरीक्षण तलाशी लेने तथा जप्त करने की शक्ति—

- (1) किसी खदान अथवा परित्यक्त खदान के संभावित स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से अथवा इस नियमावली से संबंधित अन्य उद्देश्य से काम करने की स्थिति निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई यथा—
- (क) खान आयुक्त, खान निदेशक; या
- (ख) संमाहर्ता या समाहर्ता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी,
- (ग) अपर निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, खनिज विकास पदाधिकारी और खान निरीक्षक निम्नलिखित कर सकेगा :—
- (i) किसी खदान में प्रवेश और निरीक्षण;
- (ii) किसी ऐसे खदान का सर्वे और माप करना ;
- (iii) किसी खदान में उपलब्ध खनिज स्टॉक का वजन माप करना या माप लेना;
- (iv) किसी खदान एवं स्थान उसपर पहचान चिन्ह से संबंधित या के नियंत्रण वाले किसी व्यक्ति के कब्जे वाले किसी दस्तावेज, पुस्त या रजिस्टर या अभिलेख की जाँच करना तथा उस दस्तावेज, पुस्त, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण लेना एवं उसकी प्रतियाँ तैयार करना;
- (v) खंड (iv) में यथा निर्देशित किसी ऐसे दस्तावेज, पुस्त या रजिस्टर के उपस्थापन का आदेश देना ;

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।


आदेश

आदेश संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-274/पटना, दिनांक-18.04.2016

विभागीय आदेश संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-200/पटना, दिनांक 14.03.2016 द्वारा मानक बिडिंग डोक्यूमेंट (SBD) के विभिन्न कंडिकाओं में वर्णित Contractual provisions को लागू करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किए गये हैं। उक्त आदेश के कंडिका 2.3 में key and critical equipments के Max*** age as on(years) के संबंध में यह वर्णित है कि संवेदक को यह शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा owned/ lease पर उपलब्ध मशीन का जीवनकाल पाँच वर्ष से अधिक नहीं है, जबकि विभागीय अनुसूचित दर पुस्तिका में अंकित मशीनों के जीवनकाल से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश मशीनों का जीवनकाल पाँच वर्षों से अधिक है। उक्त विरोधाभास को दूर करने के दृष्टिकोण से उक्त वर्णित विभागीय आदेश के कंडिका 2.3 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-


एस0बी0डी0 के सेक्सन-1 एनेक्सचर-। List of key and critical equipments में Max***age as on(years) के कॉलम में अनुसूचित दर पुस्तिका में मशीनों के निर्धारित जीवनकाल में से दो वर्ष कम कर प्राप्त वर्ष अथवा पाँच वर्ष में जो अधिक हो उसे ही अंकित किया जाय। यदि निविदा के साथ निविदाकार द्वारा यह शपथ पत्र संलग्न किया जाता है कि उनके द्वारा owned/ lease पर उपलब्ध मशीन का जीवनकाल Max***age as on(years) के कॉलम में अंकित वर्षों से अधिक नहीं है, तो उसकी मान्यता दी जाय।

उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।


(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)


ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-274/पटना, दिनांक-18.04.2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-274/पटना, दिनांक-18.04.2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।


(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

राकेश कुमार
संयुक्त सचिव, प्रबंधन
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार।
संयुक्त निदेशक,
बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केन्द्र, अनिशाबाद, पटना।

पटना, दिनांक :- 05/09/19

विषय- SBD के Contract Clause-25, 'Settlement of Disputes and Arbitration' के संशोधन के संबंध में।


प्रसंग- पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक- प्र0-7/नियम-01/2017-7435(S)
दिनांक 04.08.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निदेशानुसार पथ निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक- प्र0-7/नियम-01/2017-7435(S), दिनांक-14/08/2019 द्वारा निर्गत अधिसूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन


05/09/19

(राकेश कुमार)


संयुक्त सचिव, प्रबंधन

पटना, दिनांक- 05/09/19

ज्ञापक- 1/PMC/बैठक/120/2019 -633


प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/सिंचाई सृजन/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 : यथोक्त।


05/09/19

(राकेश कुमार)

संयुक्त सचिव, प्रबंधन



Government of Bihar
Road construction Department

Notification

पत्रांक- प्र०-7/नियम-01/2017- 7435(S) / पटना, दिनांक 14/8/19

In exercise of the powers conferred under Article 166 (3) of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to Substitute Contract Clause-25 of State SBD (Standard Bidding Document) by the following with effect from the date of its publication in the official gazette :-

"Contract Clause-25 Settlement of Disputes and Arbitration-

The Settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the Provisions made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008."

By the Order of Governor

Sd/-

(Ratnesh kumar)

Additional Secretary to the Government
Road Construction Department, Bihar, patna

Memo- प्र०-7/नियम-01/2017-

/Patna, Dated.....

Copy to Accountant General of Bihar, Patna for Information & Necessary Action.

Sd/-

(Ratnesh kumar)

Additional Secretary to the Government
Road Construction Department, Bihar, patna

Memo- प्र०-7/नियम-01/2017-

/Patna, Dated.....

Copy to Under Secretary E-Gazette Cell, Gazette Finance Department Bihar, Patna with 2 (two) hard copy of notification (Hindi & English) and CD in M/s Word for Publication in Bihar Gazette.

2. It is requested to send 1,000 (one thousand) copies of the notification.

अपर मुख्य सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

मैसर्स नं० 6270

दिनांक 19/8/19

Sd/-

(Ratnesh kumar)

Additional Secretary to the Government
Road Construction Department, Bihar, patna

अधीक्षण अभियंता

P.T.O

सरकारी प्रेस नं० 3415
दिनांक 27.8.19
मु० अभि० यो० एवं मोनिट०
जल संसाधन विभाग, पटना।

SE-1
कृपया सर्वाधिकारी को सूचित करें
जब वेबसाइट पर अपलोड करने देंगे
मार्गदर्शक
निदेशा उलगा कार्टवर्क कोट
27/8/19

MS
26.8.19
CE(Mou.)
22/8

27/8/19

Memo- प्र०-7/नियम-01/2017- 7436(3) /Patna, Dated... 14/8/19
Copy to All Principal Secretaries/All Secretaries/All Head of Department/All
Divisional Commissioner/All District Magistrate for Information & Necessary Action.


14-8-19
(Ratnesh kumar)

Additional Secretary to the Government
Road Construction Department, Bihar, patna


14/8



आदेश

जल संसाधन विभाग अन्तर्गत बहुत बड़े पैमाने पर सिंचाई/बाढ़ प्रक्षेत्र से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, जिसमें तटबंध का निर्माण, उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण, नहरों के Banks etc जैसे कार्यों में मिट्टी का उपयोग किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि उपमहालेखाकार (आर्थिक क्षेत्र) एवं वरीय लेखा पदाधिकारी (आर्थिक क्षेत्र), भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग, पटना के द्वारा उक्त तटबंध निर्माण में मशीन द्वारा मिट्टी का 85%, 90% एवं 95% तक संपीड़न किये जाने पर Shrinkage/compaction Allowance (At OMC) से संबंधित विश्लेषण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त के आलोक में आदेशानुसार उक्त मामले को विभागीय स्तर पर गठित हाई लेवल तकनीकी टीम के सक्षम दिनांक 26.07.2019 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारतीय मानक (Indian Standard) IS: 4701-1982 एवं विभाग में प्रचलित General Specification को Refer किया गया।

उपरोक्त के आलोक में उक्त तटबंध निर्माण में मशीन द्वारा मिट्टी का 85%, 90% एवं 95% तक संपीड़न किये जाने पर Shrinkage/compaction Allowance (At OMC) निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है :-

- क) संपीड़न रहित मिट्टी भराई कार्य के लिये 12.5 प्रतिशत Shrinkage/compaction Allowance अनुमान्य किया जाता है।
 - ख) 85%, 90% एवं 95% तक संपीड़न मिट्टी भराई कार्य हेतु 2.08 प्रतिशत Shrinkage/compaction Allowance अनुमान्य किया जाता है।
2. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
 3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र (यदि कोई हो तो) को इस हद तक संशोधित समझा जाए।
 4. उक्त पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(अरुण कुमार द्विवेदी)
17/10/2019

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पटना, दिनांक 17/10/2019

ज्ञापक :- 1/पी0एम0सी0/बैठक/121/2019 730

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग/सभी अपर सचिव, जल संसाधन विभाग/ निदेशक, क्रय भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय/I.T. Manager, जल संसाधन विभाग (विभागीय Website पर Upload करने हेतु) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अरुण कुमार द्विवेदी)
17/10/2019
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

योगेश्वर धारी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

मुख्य अभियंता, बा०नि० एवं ज०नि०, कटिहार/
गोपालगंज/ समस्तीपुर/ पटना/
वीरपुर/ मुजफ्फरपुर

पटना, दिनांक -

विषय - बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ पूर्व कार्यान्वित कटाव निरोधक कार्यों एवं बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के परिप्रेक्ष्य में निदेशानुसार निम्न निदेश अनुपालन हेतु संसूचित किए जाते हैं:-

- (i) बाढ़ पूर्व जिन स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य कराये गये हैं, यदि उन स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसी अपरिहार्य स्थिति में उन स्थलों पर उन्हीं संवेदक से बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया जाएगा, जिनके द्वारा कटाव निरोधक कार्य कराया गया है।
यह व्यवस्था अगले वर्ष से निविदा प्रकाशन में ही सम्मिलित कर लिया जाए।
- (ii) वैसे सभी स्थल जहाँ कटाव निरोधक कार्य कराये गये हैं, नदी आक्राम्य है, वैसे स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य की तैयारी के मद्देनजर समुचित बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों यथा बालू का भण्डारण आदि बाढ़ अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाए।
- (iii) उक्त स्थलों पर दो अदृक् कैम्प, एक पदाधिकारियों के लिए एवं दूसरा श्रम बल के लिए, जिरागें समुचित प्रकाशीय व्यवस्था, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था हो, का निर्माण बाढ़ पूर्व सुनिश्चित करा लिया जाए।
प्रत्येक स्थल पर हैण्डपम्प की व्यवस्था सुनिश्चित करा लिया जाए।
- (iv) बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया की एक हार्डकॉपी परिक्षेत्राधीन प्रत्येक अभियंता (कनीय अभियंता तक) को बाढ़ अवधि से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- (v) बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका 4.4 का अनुपालन मुख्य अभियंता सुनिश्चित करायेंगे।
कनीय अभियंता के द्वारा मोटर साइकिल से गश्ती हेतु उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया की कंडिका 4.4 में प्रावधानित इंधन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(योगेश्वर धारी सिंह)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक - बाढ़ (मो०)सि०विविध-14 / 2015-

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

(योगेश्वर धारी सिंह)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक - बाढ़ (मो०)सि०विविध-14 / 2015-

21/7/15

पटना, दिनांक :

06/6/12

प्रतिलिपि - अभियंता प्रमुख (बाढ़)/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/ आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(योगेश्वर धारी सिंह)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-18/मु0-7/2011-

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 अरूण कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव (अभि0)

फैक्स/ सेवा में,
ई-मेल

सभी मुख्य अभियंता (यॉत्रिक सहित),
जल संसाधन विभाग, बिहार
संयुक्त निदेशक,
बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना ।

पटना, दिनांक-

विषय:- SBD का Contract Clause-25 में हुए संशोधन के संबंध में ।

प्रसंग:- पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0-7435(S) दिनांक-14.08.2019 एवं
विभागीय पत्रांक-1/PMC/विधि/879/2012पार्ट-II-633 दिनांक-05.09.2019

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार द्वारा SBD के Contract Clause-25 में किये गये संशोधन के आलोक में संशोधन की तिथि के पश्चात् किये जाने वाले सभी एकरारनामों में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित किया जाय । साथ ही अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूर्व के चल रहे एकरारनामों में भी संवेदक से आवश्यक सहमति प्राप्त करते हुए पूरक एकरारनामा करने की कार्रवाई की जाय ।

सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि विषयांकित संशोधन का कार्यान्वयन उनके परिक्षेत्राधीन किया जा रहा है ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अरूण कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव (अभि0)

ज्ञापक- 18/मु0-7/2011-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/सिंचाई सृजन/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(अरूण कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव (अभि0)

ज्ञापक- 18/मु0-7/2011-

4163

पटना, दिनांक- 20.11.19

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, सिंचाई भवन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

(अरूण कुमार द्विवेदी)

संयुक्त सचिव (अभि0)

(8)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

आदेश संख्या-1/PMC/विविध/879/2012-पार्ट-II

/पटना, दिनांक :-

जल संसाधन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर सिंचाई/बाढ़ की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है एवं इसे सुदृढ़ एवं कारगर करने हेतु समय-समय पर सुसंगत नियम, व्यवस्था, विभिन्न परिपत्र/पत्र/आदेश निर्गत होते रहे हैं। ऐसा पाया जा रहा है कि बोल्टर संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु बोल्टर पीचिंग कार्य एवं बोल्टर क्रेटिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाले बोल्टर के लिये बोल्टर के आकार/वजन का एक समान विशिष्टि यथा 40kg से 54.5kg उद्घृत किये जा रहे हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से लूज बोल्टर पीचिंग में व्यवहृत होने वाले बोल्टर का आकार/वजन एवं बोल्टर क्रेटिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाले बोल्टर का आकार/वजन एक समान रखा जाना उचित नहीं है।

2. इस संदर्भ में कतिपय जाँच के क्रम में उड़नदस्ता अंचल द्वारा विभिन्न IS Codes एवं CWC Hand Book का उल्लेख करते हुये क्रेट में प्रयुक्त होने वाले बोल्टर के लिए 40kg से कम वजन के बोल्टर के उपयोग पर विभागीय निर्णय लेने की अनुशंसा की गई है।

3. बोल्टर क्रेटिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाले बोल्टर के आकार/वजन के संबंध में मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मंतव्य दिया गया है :-

(i) बोल्टर क्रेटिंग में Graded Boulder (boulder of different sizes) का प्रयोजन स्थापित है तथा क्रेट के अन्दर उपयोग किए गए सभी बोल्टर एक Single Mass की तरह व्यवहार करते हैं।

(ii) क्रेटेड बोल्टर के लिए D_{50} (Mean diameter of stones in millimeter) का प्रयोग किया गया है, जो कि किसी Sample में भिन्न-भिन्न साईज के बोल्टरों का Mean Size दर्शाने के लिए ही किया जाता है। इसमें D_{50} से छोटे साईज एवं D_{50} से बड़े साईज, दोनों का समावेश माना गया है।

(iii) बोल्टर का न्यूनतम साईज Crate के Mesh साईज से बड़ा होना चाहिए।

(iv) Crated Boulder में boulder के Specific Gravity से अलग porosity की गणना हेतु mass specific gravity of protection S_m (Crated boulder) की आवश्यकता होती है एवं इसी S_m का उपयोग कर Crated boulder का कुल वजन निकाला जाता है।

(v) नदियों के जल प्रवाह वेग (Velocity) के अनुसार क्रेटेड बोल्टर का वजन ऐसा होना आवश्यक है कि Incipient Motion तथा Uplift की समस्या न आये एवं बोल्टर (एककी अथवा क्रेटेड) अपने स्थान से विचलित न होए।

(vi) CWPRS, Pune द्वारा कोसी नदी के Eastern Embankment एवं स्पर के Protection के लिए अपने Technical report No.- 5456/2017 के द्वारा 0.5m Thick gabion (crates) के लिए Filling Stones का size 120-250 mm ($D_{50} = 190\text{mm}$) की अनुशंसा की गई है, जो 6.40 m/s जल प्रवाह वेग के लिए उपयुक्त पाया गया है। यह Mesh size 100 mm x 120 mm के लिए आकलित है।

(vii) IS Code में न्यूनतम बोल्टर साईज को Mesh साईज से बड़ा रखना अनुशंसित है परन्तु क्रेट के अन्दर छोटे एवं बड़े बोल्टरों की व्यवहार की प्रतिशत की कोई सीमा अंकित नहीं है।



CWC के Hand Book में 150 mm से 250 mm size के बोल्टर का उपयोग अनुशंसित है एवं निम्नरूपेण वर्णित है :- "The size of the boulders used in gabions may be between 0.15 m to 0.25 m ($D_{50} = 200$ mm). The range in sizes shall be allowed for a variation of 5% oversize and / or 5% under size rock, provided it is not placed on the gabion exposed surface."

(viii) क्रेट्स में Voids को सीमा में रखने के लिए विभिन्न साईज एवं वजन के बोल्टर (Well graded throughout layer thickness) के आलोक में 6" mesh size की दशा में 175 mm से 300 mm ($D_{50} = 225$ mm) साईज के बोल्टर के उपयोग को तकनीकी दृष्टिकोण से सही माना गया है। महत्तम साईज का Boulder 5% oversize एवं न्यूनतम साईज के बोल्टर के लिए 5% अन्डरसाईज का प्रावधान इस शर्त के साथ रखा जा सकता है कि Mesh साईज से छोटे होने पर इनका उपयोग क्रेट/गेबियन के exposed surface पर नहीं किया जायेगा।

4. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह निदेश दिया जाता है कि :-

"योजनाओं का प्राक्कलन तैयार करने में क्रेट में प्रयुक्त किये जाने वाले बोल्टर के आकार के संबंध में उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित विशिष्टियों से संबंधित बिन्दुओं का समावेश किया जाये"

5. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

6. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

(अरुण कुमार द्विवेदी)
16/12/2019

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पटना, दिनांक :- 16/12/19

ज्ञापांक-861

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/सिंचाई सृजन/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना/ सभी अपर सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता (यॉत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/ संयुक्त निदेशक, FMISC/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, 2, 3 एवं 4, पटना/ अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल-1 एवं 2/ आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करने हेतु), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार द्विवेदी)
16/12/2019

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

पटना, दिनांक :- 16/12/19

ज्ञापांक-861

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार द्विवेदी)
16/12/2019

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक 2603 दिनांक 18/12/19

Report Draft 2019/27

प्रतिलिपि :- परिक्षेत्राधीन सभी अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार द्विवेदी)
18/12/19

मुख्य अभियंता

बाढ़ नि० एवं ज० नि० जल सं० वि०, कटिहार

15-12-19 (कैम्प पूर्णियाँ)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग ।

आदेश

आदेश संख्या-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-200 /पटना, दिनांक- 14/03/2016

राज्य सरकार द्वारा सभी कार्य विभागों में दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्यों हेतु मानक बिडिंग डोक्यूमेंट (SBD) की स्वीकृति दी गई है। विभाग द्वारा तैयार की जा रही निविदा दस्तावेजों एवं इसके आधार पर आमंत्रित निविदाओं के निष्पादन के दौरान यह पाया गया है कि SBD के प्रावधानों, विशेषकर Qualification Criteria का भिन्न-भिन्न तरह से Interpretation किया जा रहा है। फलस्वरूप निविदा दस्तावेजों में एकरूपता नहीं रहती है। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया जा रहा है कि एस0बी0डी0 के विभिन्न कंडिकाओं में वर्णित Contractual provisions को लागू करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसका कुप्रभाव योजनाओं की प्रगति पर हो रहा है एवं परिवादों की भी संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में Contract Management से संबंधित निम्न विषयों पर निम्नवत् व्याख्या करते हुए मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रतिपादित किए जा रहे हैं:-

1. Experience of executed quantity of works

1.1 SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.5 (A)(c) के अधीन जल संसाधन विभाग के

कार्यों के लिए मात्र निम्नलिखित कार्यों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र की मांग की जाय:-

- I. Earth Work (Excavation, Filling, Back Filling etc. का combined quantities in M^3)
- II. Cement Concrete (P.C.C., R.C.C., P.S.C, etc. का combined quantities in M^3)
- III. Protection works (Pitching/ Crating/ Soling with Boulder/Brick/Geo-bag/E.C.bag/Nylon crates/Gabians etc. का combined quantities in M^3)
- IV. Masonary Works (Boulder, Brick, etc. का combined quantities in M^3)
- V. Non Bituminous Work (GSB/WMM/WBM----- in M^3)
- VI. Bituminous Work (DBM/BM/SDBC/BC/PMC----- in M^3)
- VII. Sheet pile (Only for Dam, Barrage & Weir, quantity in MT)

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य मद के अनुभव की मांग नहीं की जाय।

उपर्युक्त कंडिका I से VII में अंकित सभी निविदित मुख्य मदों के विरुद्ध अंकित विभिन्न कार्य मद उस कंडिका विशेष के लिए समतुल्य माने जायेंगे।

इस संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक 81 दिनांक 02.02.2012 को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

1.2 SBD Section 1 ITB के कंडिका 4.5 (A)(c) के अधीन Expected peak rate of construction की गणना वर्षवार की जाय। तत्पश्चात् संवेदकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु Expected peak rate of construction का 40 प्रतिशत (शीट पाईल को छोड़कर) ही किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए कार्यानुभव के रूप में मांगी जाय। उदाहरण स्वरूप- यदि सीमेंट कंक्रीट का कार्य एक वर्ष से अधिक अथवा दो वर्षों में 50000 घन मीटर पूर्ण किया जाना है तो एक वर्ष में किये जाने वाले कार्य की मात्रा 25000 घन मीटर होगी एवं G.Appendix 2 ITB के कंडिका 5 में कार्यानुभव के रूप में न्यूनतम वांछित मात्रा 25000 घन मीटर का 40 प्रतिशत 10000 घन मीटर होगी। यदि किसी कार्य को एक वर्ष या एक वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाना है तो BOQ में प्रावधानित कार्य मदवार मात्रा का 40 प्रतिशत कार्यानुभव के रूप में न्यूनतम वांछित मात्रा होगी। शीट पाईल के मामले में Expected peak rate of construction का 25 प्रतिशत ही किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए कार्यानुभव के रूप में मांगी जाय।

2. Availability of key and Critical Equipments

2.1 SBD Section 1 ITB कंडिका 4.5 (B)(a) के अधीन बीडर को key and critical equipments for the work का availability (either owned or leased or by procurement against mobilisation advances) संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाना है। इस प्रावधान की व्याख्या निम्न है:-

बीडर द्वारा निविदा में वांछित key and critical equipments की उपलब्धता के संबंध में owned संबंधी प्रमाण पत्र के अधीन मशीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। लीज की स्थिति में लीज एग्रीमेन्ट के साथ-साथ लीज करने वाले फर्म/व्यक्ति के पास मशीन के स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा। Procurement against mobilisation advances संबंधी प्रमाण पत्र के अधीन वांछित key and critical equipments के कोटेशन के साथ-साथ अधिकृत डीलर से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना होगा कि एकरारनामा के एक महीने के अन्दर वांछित key and critical equipments की कार्य स्थल पर आपूर्ति कर दी जायेगी।

2.2 इसी प्रकार कार्य विशेष में प्रयुक्त होने वाले मात्र निम्न Critical Equipments में से ही Availability की मांग की जाय:-

1. Concrete batching and mixing plant
2. Concrete mixes with integral weigh batching facility
3. Paver finisher with electronic sensor
4. Dozer
5. Motor Grader
6. Vibratory roller / Smooth wheeled / sheep foot roller
7. Fully computerized Hot Mix plant with electronic sensors
8. Pocklain/ Excavator/ Front End Loader or any other loading machine
9. Sheet pile driving equipment
10. Long boom Hydraulic crane
11. Concrete Rock Cutter
12. Tractor/ Tipper/Dumper

उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी मशीन के availability की मांग नहीं की जाय।

2.3 एस0बी0डी0 के सेक्सन-1 एनेक्सचर-। List of key and critical equipments में Max age as on(years) के कॉलम में पॉच वर्ष अंकित किया जाय। इस संबंध में संवेदक को यह शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा owned/ lease पर उपलब्ध मशीन का age पॉच वर्ष से अधिक नहीं है।

3. SBD Section 1 ITB कंडिका 4.5 (B)(b) के अधीन बीडर को availability for this work of personnel with adequate experience as required

as per annexure-II की व्याख्या निम्नवत की जाती है:-

Sl.No.	personnel	Qualification	contract package size						
			Rs. 5-30 Lacs	Rs. 30- 70 Lacs	Rs. 70 Lacs to 2 crores	Rs. 2- 10 crores	Rs. 10-30 crores	Rs. 31-50 crores	more than 50 crores
1	Project Manager	BE Civil+10years experienc(5years as manager) or retired EE					1	1	1
2	Site Engineer	BE Civil+7years experienc(3years experience of irrigation works) or retired AE			1	1	1	2	4
3	Quantity surveyor	BE Civil+5years experienc or Dip. civil +07 years experience						1	2
4	Survey Engineer	BE Civil+3years experienc or Dip. civil +07 years experience						1	2
5	Site Supervisor	Fresh Graduate in civil or Diploma civil +03years Exp. or retired I.T.I Holder.		1	1	1	2	3	4

कार्य की परिमाण विपत्र के आधार पर उक्त विवरणी के अनुरूप ही टेकनीकल पर्सनल की आवश्यकता की मांग की जाय।

4. निविदा निस्तार की प्रक्रिया एवं Clarification & Modification

जल संसाधन विभाग के पत्रांक 536 दिनांक 13.06.13 तथा 686 दिनांक 19.08.2014 के माध्यम से 2.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए एस0बी0डी0 के आधार पर प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु विभागीय दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इन दिशा-निर्देशों में निविदाओं के निष्पादन में एस0बी0डी0 आधारित निविदाओं के तकनीकी बीड में सफल होने के लिए Eligibility Criteria को प्रथम प्रक्रम एवं द्वितीय प्रक्रम में वर्गीकृत किया गया है। फलस्वरूप निविदाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं भ्रम की स्थिति बनती है। अतः एस0बी0डी0 के सेक्सन-1 ITB में वर्णित Criteria के अनुरूप ही निविदाओं का निष्पादन किया जाय। इस दृष्टिकोण से निविदा निष्पादन की प्रथम एवं द्वितीय प्रक्रमों की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। उक्त वर्णित जल संसाधन विभाग के पत्रांक 536 दिनांक 13.06.13 तथा 686 दिनांक 19.08.2014 को उक्त हद तक संशोधित माना जाय।

इसी प्रकार SBD के Section 1, ITB कंडिका 22.4 (ii) के अनुरूप बिडर से Clarification & Modification प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6158 दिनांक 09.07.2014 की कंडिका 5.2 में Clarification & Modification के क्रम में सिर्फ उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जानी है, जो निविदा प्राप्ति के पूर्व के होंगे एवं निविदा के साथ अपलोड होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जो अभिलेख अपलोडेड हैं, उन्हीं के आधार पर निविदा निस्तार किया जाना है। यदि अपलोडेड कागजात अस्पष्ट एवं अपठनीय है तो Clarification & Modification प्राप्त कर निर्णय लिया जाय, परंतु यदि किसी निविदाकार द्वारा SBD Section 1 ITB, G-Appendix to ITB, Section 2 Qualification Information में दिये गये निदेशों एवं विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ एवं तत्संबंधी अभिलेख संलग्न नहीं किये जाते हैं तो उनके संबंध में Clarification & Modification की आवश्यकता नहीं होगी एवं उपलब्ध कागजातों के आधार पर ही निर्णय लिया जायेगा। इस आशय की सूचना निविदा आमंत्रण सूचना में ही सन्निहित कर दी जाय।

5. Rate of indexing

निविदा के साथ संलग्न Annual Turn Over, Value of Existing Commitments and ongoing works एवं अन्य Financial Figures को 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से Indexing किया जाय।


6. Contract Data and other informations

- 6.1 SBD Section 1 G-Appendix to ITB Serial No.1 में Name of Employer संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं SBD Section 4 Contract Data Schedule F में इंजीनियर इन्चार्ज संबंधित कार्यपालक अभियंता ही होंगे।
- 6.2 SBD Section 3 Conditions of Contract के कंडिका 8.2 में प्रावधानित Accepting Authority वही होंगे जिनके स्तर पर निविदा का निस्तार किया गया है, यानि निविदा दस्तावेजों/ परिमाण विपत्र में Discrepancy होने पर जिस स्तर पर निविदा का निस्तार हुआ है, वही इसके संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

7. Recoveries

SBD की कंडिका 29, 29A, 53 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए कहना है कि यदि किसी जाँच/अंकेक्षण के क्रम में यह पाया जाता है कि संवेदक के द्वारा Unsound एवं निम्न विशिष्टि का कार्य किया गया है अथवा संवेदक को अधिकाई भुगतान किया गया है एवं इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा कटौती का निदेश निर्गत किया जाता है, तो एस0बी0डी0 के Clauses of Contract कंडिका 16 एवं Contract Data Schedule F के अनुसार संबंधित अधीक्षण अभियंता जो Reduced rate के निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकार हैं, के अनुमोदनोपरान्त माप पुस्तिका में इन्ट्री कर उस कार्य के चालू विपत्र, अंतिम विपत्र, जमानत की राशि अथवा उस संवेदक द्वारा विभाग में कराये जा रहे अन्य किसी कार्य के चालू विपत्र, अंतिम विपत्र, जमानत की राशि से एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी। यदि उक्त प्रावधानों के तहत वसूली संभव नहीं है तो न्यायालय में मनी सूट दायर कर वसूली की कार्रवाई की जाय। उक्त कार्रवाई हेतु एकरारनामा के इंजीनियर इंचार्ज/संबंधित कार्यपालक अभियंता प्राधिकृत रहेंगे।

8. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।


(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-200 /पटना, दिनांक- 14/03/2016

प्रतिलिपि अभियंता प्रमुख (दक्षिण)/ अभियंता प्रमुख (उत्तर)/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/ सभी मुख्य अभियंता, (यॉत्रिक सहित) जल संसाधन, बिहार/ निदेशक, वाल्मी/संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4 एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल/ उप सचिव, काडा/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Y. Singh
14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

ज्ञापांक-1/पी0एम0सी0/विविध/879/2012-200 /पटना, दिनांक- 14/03/2016

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

Y. Singh
14.3.16

(योगेश्वरधारी सिंह)
संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)